पत्र संख्या-वैट परिपत्र (07-08) 599 / वाणिज्य कर।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश
(वैट अनुभाग)
लखनऊ // दिनॉक // फरवरी 14 2008

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः- शिड्यूल II पार्ट सी में अंकित इण्डस्ट्रियल इनपुट्स पर कर की देयता के संबंध में।

मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश , 2007 के शिड्यूल II में वह वस्तुयें विज्ञापित की गयी हैं जिनकी खरीद / बिक्री पर उक्त अध्यादेश के अंतर्गत चार प्रतिशत की दर से करदेयता है। इस शिड्यूल में पार्ट-सी इण्डस्ट्रियल इनपुट् की सूची दी गयी है जिसमें अंकित वस्तुए इण्डसट्रियल इनपुट के रूप में वर्गीकृत की गयी है।

इसका तात्पर्य यह नही है कि सूची में अंकित वस्तुयें यदि इण्डस्ट्रियल इनपुट के रूप में प्रयोग की जायेंगी तभी उस पर कर की दर चार प्रतिशत होगी। एतद् द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि शिड्यूल II पार्ट सी में इण्डस्ट्रियल इनपुट के रूप में वर्गीकृत वस्तुए चाहे इण्डस्ट्रियल इनपुट के रुप में प्रयोग की जाये अथवा अन्यथा प्रयोग की जाये , इन वस्तुओं की खरीद / बिक्री पर नियमानुसार कर की दर चार प्रतिशत ही रहेगी। इस तथ्य की जानकारी अपने क्षेत्र के अधिवक्ता संघों , व्यापारिक संघों / औद्योगिक संगठनों को करा दी जाये तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दें।

(सुनील कुमार)
कमिश्नर , वाणिज्य कर
उ0प्र0,लखनऊ।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com